महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 98

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	17067.61	30.00	17097.61	22556.02	38.65	22594.67	21698.16	38.65	21736.81	25199.99	0.01	25200.00
वसूलियां	*-224.09*	...	-224.09	*-500.00*	...	*-500.00*	*-500.00*	...	*-500.00*	*-500.00*	...	*-500.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**16843.52**	**30.00**	**16873.52**	**22056.02**	**38.65**	**22094.67**	**21198.16**	**38.65**	**21236.81**	**24699.99**	**0.01**	**24700.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	38.78	...	38.78	42.07	...	42.07	47.80	...	47.80	43.62	...	43.62
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	12.99	...	12.99	14.36	...	14.36	15.16	...	15.16	14.00	...	14.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**51.77**	**...**	**51.77**	**56.43**	**...**	**56.43**	**62.96**	**...**	**62.96**	**57.62**	**...**	**57.62**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	43.22	...	43.22	60.60	...	60.60	70.08	...	70.08	59.41	...	59.41
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	7.46	...	7.46	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	14.96	...	14.96	19.00	...	19.00	26.50	...	26.50	18.00	...	18.00
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	22.81	...	22.81	25.60	...	25.60	25.60	...	25.60	24.00	...	24.00
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	73.18	...	73.18	71.28	...	71.28	83.38	...	83.38	71.50	...	71.50
8. राष्ट्रीय महिला कोष	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01
जोड़-स्वायत्त निकाय	**161.63**	**...**	**161.63**	**187.98**	**...**	**187.98**	**217.06**	**...**	**217.06**	**181.92**	**...**	**181.92**
अन्य												
9. नेशनल अवार्ड्स	0.29	...	0.29	0.45	...	0.45	0.94	...	0.94	1.00	...	1.00
10. यूनिसेफ के लिए अंशदान	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
जोड़-अन्य	**5.89**	**...**	**5.89**	**6.05**	**...**	**6.05**	**6.54**	**...**	**6.54**	**6.60**	**...**	**6.60**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**167.52**	**...**	**167.52**	**194.03**	**...**	**194.03**	**223.60**	**...**	**223.60**	**188.52**	**...**	**188.52**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.												
11. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस)	14433.18	...	14433.18	15245.19	...	15245.19	15245.19	...	15245.19	16334.88	...	16334.88
12. राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)												
12.01 कार्यक्रम घटक	5.64	30.00	35.64	1061.35	38.65	1100.00	511.35	38.65	550.00	2928.69	0.01	2928.70
12.02 ईएपी घटक	163.45	...	163.45	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	71.30	...	71.30
जोड़- राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)	*169.09*	*30.00*	*199.09*	*1461.35*	*38.65*	*1500.00*	*911.35*	*38.65*	*950.00*	*2999.99*	*0.01*	*3000.00*
13. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	75.46	...	75.46	2700.00	...	2700.00	2594.55	...	2594.55	2400.00	...	2400.00
14. किशोरियों के लिए स्कीम	482.03	...	482.03	460.00	...	460.00	460.00	...	460.00	500.00	...	500.00
15. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	124.62	...	124.62	200.00	...	200.00	65.00	...	65.00	128.39	...	128.39
16. बाल संरक्षण सेवाएं	576.98	...	576.98	648.00	...	648.00	648.00	...	648.00	725.00	...	725.00
17. देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बालकों के कल्याण की योजना	1.96	...	1.96	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.	**15863.32**	**30.00**	**15893.32**	**20716.54**	**38.65**	**20755.19**	**19924.10**	**38.65**	**19962.75**	**23088.27**	**0.01**	**23088.28**
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन												
18. महिला शक्ति केंद्र	30.83	...	30.83	70.00	...	70.00	64.00	...	64.00	267.30	...	267.30
19. स्वाधार गृह	83.69	...	83.69	100.00	...	100.00	75.00	...	75.00	95.00	...	95.00
20. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग देना (एसटीईपी)	8.86	...	8.86	40.00	...	40.00	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
21. उज्ज्वला	20.32	...	20.32	50.00	...	50.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
22. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	23.13	...	23.13	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00
23. जेंडर बजटिंग	1.29	...	1.29	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
24. अनुसंधान, प्रकाशन तथा मानीटरिंग	1.42	...	1.42	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
25. सूचना एवं जन संचार (मीडिया)	53.95	...	53.95	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00
26. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	28.66	...	28.66	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	280.00	...	280.00
27. महिला हेल्पलाइन	0.85	...	0.85	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	28.80	...	28.80
28. वन स्टॉप सेंटर	40.24	...	40.24	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	105.10	...	105.10
29. निर्भया कोष से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	191.76	...	191.76	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	359.09	...	359.09
30. निर्भया कोष को अंतरण	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
31. निर्भया कोष से वहन की गयी राशि	-191.76	...	-191.76	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
32. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
33. महिलाओं एवं बच्चों पर अभिनव कार्य	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
34. प्रियदर्शिनी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35. जेंडर बजटिंग एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.28	...	8.28
36. महिला पुलिस वालंटियर्स	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.01	...	7.01
जोड़-महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	**793.24**	**...**	**793.24**	**1089.02**	**...**	**1089.02**	**987.50**	**...**	**987.50**	**1365.58**	**...**	**1365.58**
37. वास्तविक वसूली	-32.33	...	-32.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**16624.23**	**30.00**	**16654.23**	**21805.56**	**38.65**	**21844.21**	**20911.60**	**38.65**	**20950.25**	**24453.85**	**0.01**	**24453.86**
कुल जोड़	*16843.52*	*30.00*	*16873.52*	*22056.02*	*38.65*	*22094.67*	*21198.16*	*38.65*	*21236.81*	*24699.99*	*0.01*	*24700.00*
ख. योजना परिव्यय												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1090.15	...	1090.15	1395.11	...	1395.11	3441.57	...	3441.57	3703.82	...	3703.82
2. पोषाहार	12.99	...	12.99	14.36	...	14.36	15.16	...	15.16	14.00	...	14.00
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	38.73	...	38.73	42.07	...	42.07	47.80	...	47.80	43.62	...	43.62
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	30.00	30.00	...	38.65	38.65	...	38.65	38.65	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1141.87**	**30.00**	**1171.87**	**1451.54**	**38.65**	**1490.19**	**3504.53**	**38.65**	**3543.18**	**3761.44**	**0.01**	**3761.45**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2160.55	...	2160.55	2045.03	...	2045.03	2445.39	...	2445.39
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	15515.51	...	15515.51	18029.22	...	18029.22	15453.77	...	15453.77	18201.11	...	18201.11
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	186.14	...	186.14	414.71	...	414.71	194.83	...	194.83	292.05	...	292.05
जोड़-अन्य	**15701.65**	**...**	**15701.65**	**20604.48**	**...**	**20604.48**	**17693.63**	**...**	**17693.63**	**20938.55**	**...**	**20938.55**
कुल जोड़	**16843.52**	**30.00**	**16873.52**	**22056.02**	**38.65**	**22094.67**	**21198.16**	**38.65**	**21236.81**	**24699.99**	**0.01**	**24700.00**

1. **सचिवालय:** प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यिकताएं भी शामिल हैं।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास ब्यूधरो के अधीन तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ है । मंत्रालय में एफएनबी पोषण में नीतिगत मुद्दों पर कार्य करता है। यह व्यापक श्रेणी की पोषण शिक्षा एवं विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं जागरूकता के लिए इनपुट प्रदान करने का भी प्रमुख कार्यकर्ता है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** निपसिड जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बैंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यंम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यमकता भी पूरी करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):** दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का केंद्रीय सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसको इन-कंट्री और इंटर-कंट्री दत्तक-ग्रहण को मॉनिटर और विनियमित करने की जिम्मे दारी दी गई है। कारा प्राथमिक रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ,परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित कार्य करता है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 68 (ग) के तहत यथा अधिदेशित 'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण'(कारा) द्वारा तैयार किए गए दत्तक-ग्रहण विनियमन,2017 04 जनवरी 2017 को अधिसूचित किये गए हैं। दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 ने दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित किया है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** बच्चों की संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका अधिदेश संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी

मामलों की जांच एवं अन्वेषण करना है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवंचन से संबंधित मामलों का स्व –प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्यूबी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनके कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों मं शामिल हैं- महिलाओं और लडकियों के लिए शिक्षा का संघनित पाठ्यक्रम जागरूकता सृजन कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार काउंसलिंग केंद्र तथा अल्पावास गृह। ये स्कीमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैकच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

8. **राष्ट्रीय महिला कोष:** राष्ट्रीय महिला कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष सूक्ष्म वित्तर संगठन है। इससे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, महिला संघों तथा सहकारी बैंकों के माध्यंम से गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए 1993 में केवल महिलाओं के गठित किया गया । आरएमके शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीविका, सूक्ष्मं उद्यम, आवास तथा पारिवारिक जरूरतों के लिए जमानत के बगैर ग्राहक अनुकूल तथा बाधामुक्त विधि से ऋण प्रदान करता है।

9. **नेशनल अवाड्‌र्स:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

10. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** यह यूनिसेफ को भारत के अंशदान पर व्यय को पूरा करने के लिए है ।

11. **आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस):** यह स्कीम छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है - जैसे कि पूरक पोषण,विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। इस स्कीम के सार्वभौमीकरण के बाद सरकार ने देश भर में कुल 7076 परियोजनाओं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का अनुमोदन किया है। अम्ब्रैला आईसीडीएस स्कीम के तहत संशोधित कार्यक्षेत्र और संरचना और लागत हिस्सेंदारी अनुपात के साथ 30 नम्बर,2018 तक जारी रखने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं 16 नवंबर,2017 को संशोधित और अनुमोदित की गई थी।

12.01. **कार्यक्रम घटक:** भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना करने का अनुमोदन कर दिया है। यह कार्यक्रम निश्चित लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनापन, अल्प पोषण, रक्त की कमी और जन्म के समय कम वजनी बच्चों के स्तर को कम करने का प्रयास करेगा। यह तालमेल बनायेगा, बेहतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित करेगा, समय पर कार्रवाई के लिए अलर्ट जारी करेगा और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेगा। इस कार्यक्रम द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से अर्थात 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों और शेष जिलों को वर्ष 2019-20 में कवर किया जाएगा।

12.02. **राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित):** पोषण में समेकित शिक्षा स्कीम का उद्देश्य लोगों का निम्नानुसार पोषकता स्तर में वृद्धि करना है: केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं का समर्थन करना, सबसे निचले स्तर से कार्यकर्ताओं और समुदायों को पोषणोन्मुखी तैयार करना, लोगों में सामान्य रूप से सूचना और जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अभियान चलाना और चार प्रोन्नत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करके गुणता आश्वासन प्रणाली का सशक्तीकरण।

13. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** माननीय प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को देश के नाम अपने संबोधन में पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के समस्तं भारत में कार्यान्वियन की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) दिनांक 16.06.2017 के आईईडी नंबर माध्याम से सूचित किया कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के नाम से जाना जाएगा। पीएमएमवीवाई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्र और राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के लागत हिस्सेवदारी अनुपात में और विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

स्कीम का उद्देश्य मजदूरी की क्षति के लिए नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम ले सके और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में बेहतर स्वास्थ्य आचरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। स्कीम के अंतर्गत तीन किस्तों में विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली महिला को गर्भावस्था एवं स्तानपान कराने के दौरान डीबीटी पद्धति के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/डाकघर खाते में सीधे नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। संस्था में प्रसव के बाद पात्र लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे।

14. **किशोरियों के लिए स्कीम:** सरकार 11-14 साल की स्कूल बाह्य किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके कौशल में वृद्धि के लिए किशोरी स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य स्कूल बाह्य लड़कियों को पुन: औपचारिक स्कूली शिक्षा या व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से किशोरी स्कीम के विस्तार और सार्वभौमीकरण का अनुमोदन किया है अर्थात 2017-18 में अतिरिक्त 303 जिलों में और 2018-19 में शेष जिलों में। इस प्रकार, किशोरी स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में देश के 508 जिले शामिल हैं।

15. **राष्ट्रीय क्रेच स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कार्यरत माताओं और परिवारों से संबंधित अन्य पात्र महिलाओं के बच्चों (0-6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन में देखरेख सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इनपुट्स जैसे प्रतिरक्षण, पोलियो ड्राप, बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख,शयन सुविधाएं, प्रारंभिक सिमुलेशन(03वर्ष से कम), 3-6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूलपूर्व शिक्षा और तात्कालिक औषधियों की व्यवस्था की जाती है।

16. **बाल संरक्षण सेवाएं:** मंत्रालय कानून विरोधी कार्य करने वाले और अन्य संवेदनशील जरुरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित परिवेश सृजित करने हेतु इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम को लागू कर रहा है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2009-10 से लागू की जा रही है। कार्यक्रम के घटकों में बाल देखरेख सस्थातओं के माध्यम से संस्थागत सेवाएं और प्रायोजन के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख, धात्री-देखरेख और दत्तक ग्रहण सेवाएं शामिल हैं। यह चाईल्डधलाइन और चाईल्डर ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से देखभाल पश्चात कार्यक्रम और 'आपातकालीन आउटरीच सेवा' के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

18. **महिला शक्ति केंद्र:** भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन योजना का विलय करके) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। एमएसके के ब्लॉक स्तर पर पहलों के हिस्से के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्प ना की गई है। चरणबद्ध तरीके से शामिल करने हेतु 640 जिलों के लिए नए जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) की भी परिकल्पा की गई है।

19. **स्वाधार गृह:** स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जी सकें। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की संकल्पइना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

20. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग देना (एसटीईपी):** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता, कुशलता और दक्षता बढाना है जिससे महिलाएं स्व-नियोजित/ उद्यमी बन सकें।

21. **उज्ज्वला:** यह अनैतिक दुर्व्यापार के रोकथाम के लिए विस्तृत स्कीम है और वाणिज्यिक यौन शोषण के अनैतिक दुर्व्यापार की पीडितों का बचाव, पुनर्वास, परिवार से पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन कराना है।

22. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल:** यह निवास-स्थल से दूर रह रही कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास-सुविधा सुनिश्चित करती है।

25. **सूचना एवं जन संचार (मीडिया):** सूचना तथा जन संचार (मीडिया) का उद्देश्य नीतियों / कार्यक्रमों / कार्यकलापों, विधायी उपायों तथा मनोदशा में बदलाव लाने के लिए सर्वसाधारण के लिए सुव्यवस्थित उपाय में जागरूकता बढ़ाने / प्रचार करने का है।

26. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्यस कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित जिलों में पूरे देश में व्यारपक अभियान तथा केंद्रीयकृत हस्तरक्षेप और बहुक्षेत्रक कार्रवाई के माध्य म से बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में कमी के मुद्दे का समाधान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्ता्र को 405 जिलों में बहुस्त रीय हस्तकक्षेप तथा 235 जिलों में सक्रिय जिला मीडिया तथा सहायता की पहुंच जिला आउटरीच के माध्यिम से देश के सभी 640 जिलों (अब 2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य बालिका के जन्म को उत्सभव की तरह मनाना है और उसकी शिक्षा को सक्षम बनाना है। इस स्कीीम के विशेष लक्ष्या हैं (i) जेंडर पक्षपाती चयन को समाप्त करना (ii) बालिका के जीवन को सुनिश्चित करना (iii) बालिका की सुरक्षा को सुनिश्चैत करना तथा (iv) बालिका की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चिसत करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। जिला कलैक्टओर/उपायुक्त इस कार्यक्रम के कार्यान्विियन के लिए जिला स्तवर पर नोडल अधिकारी है।

27. **महिला हेल्पलाइन:** मंत्रालय ने महिला हेल्प लाइन सर्वसुलभीकरण की स्कीम 19 फरवरी, 2015 को अनुमोदित कर दी है। यह स्कीम 01.04.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्प लाइन (डबल्यूएचएल) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी।

28. **वन स्टॉप सेंटर:** वन स्टॉप सेंटर मुख्य रूप से परिवार, समाज, कार्यस्थल सहित निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओ को मेडिकल सहायता पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, मनौवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा सीमा की सुलभता सुकर कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है।

35. **जेंडर बजटिंग एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सरकारी आयोजना एवं बजट के जरिए सतत निवेश सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक जबरदस्त साधन के रूप में जेंडर बजट को अपनाया गया। जेंडर बजटिंग कार्यक्रम, नीति निर्माण, लक्षित समूहों की जरूरतों के आकलन, मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा, संसाधनों के आवंटन, कार्यक्रमों के कार्यान्वियन, जेंडर संवेदनशील प्रतिफल, परिणाम, जेंडर लेखा परीक्षा और प्रभाव निर्धारण, और संसाधनों के पुन: वरीयताक्रमण के विभिन्न स्तरों पर जेंडर परिप्रेक्ष्य बनाए रखता है। मंत्रालय और खाद्य और पोषण से संबंधित पहलुओं सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्रों में शोध, प्रकाशन एवं मॉनीटरिंग की परियोजनाओं को प्रायोजित करता है।

36. **महिला पुलिस वालंटियर्स:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों /संघ राज्य अन्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वालेंटियर (एमपीवी) की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है जो पुलिस और समाज के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेंगी और संकट में पड़ी महिलाओं को सुविधा प्रदान करेंगी। करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को अपनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्यि है। इसके अतिरिक्तर, महिला पुलिस वालेंटियर के कार्यान्व यन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीससगढ़ और कर्नाटक के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा भी इस कार्यक्रम का शीघ्र ही अनुपालन किए जाने की संभावना है।